न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 04 / 2015

प्रकरण दर्ज तिथि :— 10.03.2015

जीसीएमएस नम्बर :— 2015 / 00006

वादीगण :—

1. प्रहलाद पुत्र स्वरूपजी
2. किशनाराम पुत्र स्वरूपजी
3. रामाराम पुत्र स्वरूपजी
4. चन्द्राराम पुत्र स्वरूपजी
5. राधेश्याम पुत्र स्वरूपजी
6. शिवजी पुत्र हरीरामजी पुत्र धन्नाजी
7. भंवरलाल पुत्र सुखदेव पुत्र धन्नाजी
8. नेमीचन्द पुत्र सुखदेव पुत्र धन्नाजी
9. पुखराज पुत्र सुखदेवजी पुत्र धन्नाजी
10. नैनी पुत्री सुखदेवजी पुत्र धन्नाजी

जातियान— गुर्जर, निवासीगण केसरपुरा —सुमेल, तहसील—रायपुर, जिला—पाली,

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय — रायपुर, जिला— पाली,
2. जिला कलेक्टर महोदय — पाली,
3. पटवारी पटवार हल्का— सुमेल, तहसील— रायपुर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण

2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 11.12.2023

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तेली द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा— नाहरगढ— सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र — बाबरा, तहसील— रायपुर में निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमि आई हुई है, जिसका निम्नानुसार है :—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01	1041	173 बीघा	बारानी दोयम
	1041/1	138 बीघा 15 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/2	129 बीघा 16 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/3	12 बीघा	बारानी दोयम
	1041/6	531/05 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/7	11 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/8	27 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/9	22 बीघा	बारानी दोयम
	1041/10	22 बीघा	बारानी दोयम
	1041/14	18 बीघा 04 बिस्वा	बारानी दोयम
	1041/15	11 बीघा 10 बिस्वा	बारानीदोयम

उपरोक्त जमाबन्दी की नकले वाद के साथ सलग्न पेश है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावे। उपरोक्त खसरा नम्बर 1041 का कुल रकबा 1141 बीघा 11 बिस्वा सन 1971 में आया हुआ था, सटलमेन्ट एवं आवंटन के समय दिनांक— 10.06.1971 व दिनांक— 11.06.1971 को ग्राम पंचायत सुमेल में पूर्व निश्चित कार्यकम एवं सूचना के अनुसार भूमि आवंटन कमेटी की मिटींग हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित थे, श्रीमान परगना अधिकारी जैतारण, श्रीमान शंकरलाल विधायक विधान सभा जैतारण, श्रीमान विकास अधिकारी रायपुर, श्रीमान तहसीलदार साहब — रायपुर, श्रीमान गुमानमल सरपंच सुमेल उपस्थित थे, आवंटन कमेटी की सर्वसम्मति से एवं मत से गॉव के विभिन्न व्यक्तियो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

को विभिन्न खसरा नम्बर की भूमि आवंटित की गयी। जिसमें उस दिन कुल 81 व्यक्तियो को भूमि आवंटित की गयी, तथा प्रमाण पत्र जारी किये गये। एवं कब्जा देने हेतू पटवारी हल्का सुमेल को लिखा गया। उक्त आवंटन कमेटी ने सोननाथ पुत्र देवाजी, जाति– गुर्जर को खसरा नम्बर 1041/1 में 20 बीघा भूमि किस्म बारानी दोयम आवंटित की गयी, एवं आवंटन आदेश के पश्चात वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता रामरूपजी, वादी संख्या 6 के पिता हरीरामजी एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेवजी को खसरा नम्बर 1041/1 में 20 बीघा भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया गया। आवंटन की दिनांक एवं कब्जा सुपुर्दगी की दिनांक से आज दिन तक लगातार वादीगण एवं उसके पिता उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। लेकिन हल्का पटवारी की गलती से वादीगण एवं एवं वादीगण के पिता का नाम आवंटन कमेटी के आदेशानुसार आज दिन तक नामान्तकरण नही भरा गया, तब वादीगण ने दिनांक– 14.08.2014 को आवंटन आदेश की नकल श्रीमान जिला उपखण्ड अधिकारीजी पाली के कार्यालय से प्राप्त की, तब वादीगण के पिता का नाम बतौर आवंटी के दर्ज मिला, एवं वादीगण ने दिनांक– 29.12.2014 को उपरोक्त खसरा नम्बरान 1041 के समस्त खातो की नकले प्राप्त की, लेकिन वादीगण व वादीगण के पिता का नाम उपरोक्त खातेदारी में दर्ज नही मिला, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी पटवार हल्का सुमेल ने उक्त आदेश की पालना करते वक्त वादीगण के पिता का नाम बतौर खातेदार दर्ज नही किया। इस पर दिनांक 20.01.2015 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 को निवेदन किया कि उक्त आवंटन आदेश की पालना करते हुये, वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करे, इस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने कहॉ कि पूर्व में नाम दर्ज नही है, देर हो चुकी है, इसलिये न्यायालय से आदेश लेकर आओ, वादीगण एवं वादीगण के पिता का नाम दर्ज नही होने के कारण से आज दिन तक वादीगण के पिता के नाम के स्थान पर सरकारी भूमि काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत के नाम दर्ज है, जबकि वादीगण के पिता का नाम आवंटन आदेश के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था, जबकि अन्य खातेदारो के नाम उपखण्ड अधिकारीजी के आदेशानुसार दर्ज किये जा चुके है, अन्य आवंटियो के अनुसार वादीगण अपना स्वयं का नाम खातेदारी में नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त खसरे के आवंटन के पश्चात अनेक खातेदार हो गये, जिस कारण से उक्त खसरा नम्बर 1041/1 से लगाकर 1041/46 बट्टा पड चुके है। लेकिन उपरोक्त खसरा नम्बरान का बन्टवाडा नही हो रखा है, और ना ही मौके पर तरमीन हो रखा है, जबकि सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर एवं आवंटन के अनुसार एवं खातेदारी के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। आवंटन के आधार पर वादीगण व उसके पिता का राजस्व रेकर्ड में आवंटन अनुसार दर्ज नही होने के कारण वादीगण को काफी कठिनाईयो का सामना पड रहा है, तथा अन्य लोग बिना किसी अधिकार के वादीगण को कब्जे से बेदखल करने पर उतारू है, जबकि उक्त आवंटन सुदा जमीन पर मौके पर काबिज काश्त आज दिन तक करते आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान हो रहा है, वादीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि को समतल व उपजाउ बनाने में काफी रूपये खर्च किये है, वादीगण एक काश्तकार व्यक्ति है, जिसका पूरा परिवार काश्तकारी करके ही अपना जीवन यापन करते आ रहे है, वादीगण के पास उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नही है। अगर वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, या वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न की जाती है, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी। वादीगण को अपने हितो व अधिकारो से वंचित होना पडेगा। इसलिये वादीगण अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने हेतू यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिवादी संख्या– 1 व 3, प्रतिवादी संख्या– 2 के अधीन है, इसलिये प्रतिवादी संख्या– 2 को पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या– 1 एक उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के लैण्ड होल्डर है, इसलिये प्रतिवादीगण को इस वाद मे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या– 1,2,3 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा– 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत नाम के आधार पर वादीगण को जमीन से बेदखल कर देगे, इसलिये बिना नोटिस दिये ही श्रीमानजी से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनायदावा दिनांक– 29.12.2014 को वादीगण को उक्त रेकर्ड की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण को अपने नाम दर्ज नही होने की जानकारी हुई, तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या– 3 तीन को राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटन अनुसार वादीगण का नाम इन्द्राज करने हेतू दिनांक– 20.01.2015 को कहने पर प्रतिवादी संख्या– 3 तीन द्वारा मना करने पर बमुकाम– सुमेल, तहसील– रायपुर, जिला– पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार, हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (व्यावर)

आशय की सादिर घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक व 2 दो में वर्णित खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता स्वरूपजी का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 के पिता हरीरामजी का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेवजी का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाकर राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद किया जाकर वादीगण को खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावे, डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या– 1 एक व 2 दो में वर्णित आवंटित जमीन 20 बीघा में वादीगण के हक अनुसार वादीगण के उपयोग उपभोग, काश्त काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, तथा प्रतिवादी संख्या– 1 एक व 2 दो को पाबन्द किया जावे कि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के तहत पेश किया हैं, जो स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 02 किशन पुत्र स्वरूप के स्थान पर किशनाराम पुत्र स्वरूप, वादी संख्या 03 का रामा पुत्र स्वरूप के स्थान पर रामाराम पुत्र स्वरूप तथा चन्द्र पुत्र स्वरूप के स्थान पर चन्द्राराम पुत्र स्वरूप करने एवं रेकर्ड में आवश्यक संशोधन करने के आदेश दिये गये हैं। तहसीलदार रायपुर के पत्रांक /राजस्व/2017/158 दिनांक 24.01.2017 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिसमें वादीगण को मौके पर उक्त खसरा नम्बर 1041/1 पर आवंटन से आज तक कब्जा हैं। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा हैं। साथ ही उपरोक्त भूमि में वादीगण के नाम दर्ज किया जाए तो तहसीलदार रायपुर को कोई आपत्ति नहीं हैं। कायम तनकीयात कायम की गई हैं जिसमें आया वादग्रस्त आराजी वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 1041, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1041/6, 1041/7, 1041/8, 1041/9, 1041/10, 1041/14, 1041/15 की भूमि में वादी आवंटन आदेश 10.08.1975 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हैं तथा आया वादी सिवायचक भूमि के खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी मय वकालतनामा का पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों। जिसमें प्रार्थी शिवजी पुत्र हरीराम जाति गुर्जर का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थीगण भंवरलाल, नेमीचंद, पुखराज, पिसरान सुखदेव, नैनी पुत्री सुखदेव का 1/3 हिस्सा आता हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि जिसमें वादीगण संख्या 01 से लगायत 05 का हिस्सा 1/3 हिस्सा व प्रार्थी शिवजी का 1/3 हिस्सा तथा प्रार्थीगण भंवरलाल, नेमीचंद ,पुखराज पिसरान सुखदेव , नैनी पुत्री सुखदेव का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से आता हैं। मौके पर कब्जा काश्त करते हैं। इसीलिए इन्हे न्यायहित में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हैं। साथ ही आवंटन आदेश में भी स्वरूप , हरीराम, सुखदेवदी इन तीनों आदमियों की यह जमीन खरीदी हुई हैं इनका पटटा साथ में नत्थी हैं, इसका नोट भी लगा हुआ है।

बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि सरहद मौजा– नाहरगढ– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बावरा के खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का भूमि जिसमें वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता स्वरूप का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 के पिता हरीराम का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेव का 1/3 हिस्सा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया हैं। बहस में बताया कि उक्त वादीगण का वर्तमान में भी आज दिनांक तक कब्जा काश्त हैं।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा– नाहरगढ– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बावरा के खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का भूमि में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता हैं कि वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका हैं। उक्त वादीगण ही इनके उतराधिकारी हैं। इस आराजी पर कब्जा काश्त हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बावरा के खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का जिसमें वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता स्वरूप का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 के पिता हरीराम का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेव का 1/3 हिस्सा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का जिसमें वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता स्वरूप का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 के पिता हरीराम का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेव का 1/3 हिस्सा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. प्रहलाद पुत्र स्वरूपजी
2. किशनाराम पुत्र स्वरूपजी
3. रामाराम पुत्र स्वरूपजी
4. चन्द्राराम पुत्र स्वरूपजी
5. राधेश्याम पुत्र स्वरूपजी
6. शिवजी पुत्र हरीरामजी पुत्र धन्नाजी
7. भंवरलाल पुत्र सुखदेव पुत्र धन्नाजी
8. नेमीचन्द पुत्र सुखदेव पुत्र धन्नाजी
9. पुखराज पुत्र सुखदेवजी पुत्र धन्नाजी
10. नैनी पुत्री सुखदेवजी पुत्र धन्नाजी

जातियान– गुर्जर, निवासीगण केसरपुरा –सुमेल, तहसील–रायपुर, जिला–पाली, बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय –रायपुर, जिला– पाली,
2. जिला कलेक्टर महोदय – पाली, वर्तमान जिला– ब्यावर
3. पटवारी पटवार हल्का– सुमेल, तहसील– रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 04/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैराकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा– नाहरगढ– सुमेल, पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र – बाबरा के खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण की 20 बीघा का जिसमें वादीगण संख्या 1 से 5 के पिता स्वरूप का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 6 के पिता हरीराम का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 7 से 10 के पिता सुखदेव का 1/3 हिस्सा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता हैं) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....
...×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	4	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		18	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।